

14/3/18

वकील वादी एवं वादी स्वयं अनुपस्थित। प्रतिवादी वकील उपस्थित। वादी एवं वादी के वकील को आज इजलाश उठने तक बार बार आवाजे लगावाई गई। परन्तु उनकी हॉर से कोई एजिर नहीं वकील प्रतिवादी उठने आया कि वी सेफ प्रतिवादी एजिर नहीं उपरोक्त स्थिति में पुस्तक लाजिकर रचना त्साधोसित उचित नहीं होगा।

नोट: वाद पत्र वादि व उनके वकील की अदम एजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फासल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम है। वाद तामिल वकमील लेकर पत्रावली खारिज करता है।

(सुरेश चावला)

उपाध्यक्ष अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसुदा (अजमेर) राज०

